दिनांक–28.03.2025 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक उपायुक्त–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आहुत की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :–

<u>उपस्थिति–पंजी के अनुसार</u>

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर	अध्यक्ष
वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर।	सदस्य
जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर	सदस्य
श्री दीपक मुर्मू, सदस्य, जि0प0, देवघर	सदस्य
सोनी सोरेन, सदस्य, जिला परिषद, देवघर	सदस्य
श्री राजेन्द्र दास, सदस्य, जिला परिषद, देवघर	सदस्य

सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर, द्वारा बैठक में उपस्थित वनाधिकार समिति के अध्यक्ष–सह–उपायुक्त एवं अन्य सदस्यों को यह बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम–2006 के तहत् अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक 43/रा0, दिनांक 27.03.2025 एवं ज्ञापांक 44/रा0, दिनांक 27.03.2025 के द्वारा **झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण** के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि क्षेत्र का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत FRA कराने के संबंध में निम्नांकित मौजा का प्रस्ताव अनुमंडल वनाधिकार समिति, देवघर से अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है तथा उक्त परियोजना में पढ़ने वाले वनभूमि का सत्यापन वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर के पत्रांक 222 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा किया गया है। जिसकी विवरणी प्रखंडवार/मौजावार निम्नवत् है :–

<u>प्रस्ताव सं0–01</u> झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण में पड़ने वाले वन भूमि, जंगल–झाड़ी भूमि का विवरणी :–

Sl. No.	Block Name	Village Name	Thana No	Jamabandi No	Plot No	**Acquired Area (HA)**	JJ Area (Ha)	PF Area (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mohanpur	बलथर	891	65	1138	0.9697	0.9697	0.00
2	Mohanpur	सिकटिया	878	52	759	0.5612	0.00	0.5612
3	Mohanpur	रोपनी	886	25	536	0.1538	0.1538	0.00
				26	533	1.5800	1.5800	0.00
				26	533	0.2718	0.00	0.2718
4	Mohanpur	बुढवाकुरा	888	42	345	0.6299	0.6299	0.00
					64	0.0517	0.0517	0.00
5	Mohanpur	जमुनियाँ	887	41	481	0.3016	0.3016	0.00
					878	0.2937	0.2937	0.00
					426/1122	0.4839	0.4839	0.00
				40	879	0.0592 and 0.1855	0.1855	0.0592
6	Mohanpur	गंधवा	508	15	80	0.3200 and 0.4620	0.4620	0.3200
7	Mohanpur	बलजोरा	507	21	335	0.2800	0.2800	0.00
8	Mohanpur	दुधवाजोर	874	17	249	0.9860	0.00	0.9860

9	Mohanpur	पिरामोह	869	28	446	0.6051	0.6051	0.00
10	Mohanpur	फुटाबांध	890		225	0.2944	0.2944	0.00
					255	1.2700	1.2700	0.00
					310	0.1844	0.00	0.1844
					304	0.0012	0.00	0.0012
					305	0.1017	0.00	0.1017
					308	0.0320	0.00	0.0320
11	Deoghar	गरीबखील	243	8	21	0.0247	0.0247	0.00
				13	22	0.8790	0.8790	0.00
				12	147	0.1183	0.1183	0.00
						11.1008	~~[illegible]~~ 8.5833	**2.5175**

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन के पश्चात् सर्वसम्मति से उपरोक्त ग्रामों में **झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण** के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि क्षेत्र का अपयोजन के लिए अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, देवघर से प्राप्त अनुशंसा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त भूमि का सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र FRA निर्गत करने की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही यूजर एजेन्सी को निदेश दिया जाता है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त प्रस्ताव को ऑनलाईन के माध्यम से समर्पित किया जाय।

प्रस्ताव सं0–02 – जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर के द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक 80/रा0 दिनांक 09.09.2024 के द्वारा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, देवघर से **प्रखंड–देवीपुर अन्तर्गत ग्राम ढकढका के मनसा मण्डा हरिजन टोला से मुख्य पथ तक सड़क निर्माण** एवं अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक 06/रा0 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, देवघर से पारित कर **देवीपुर अंचल अन्तर्गत ग्राम बेड़मुका तथा गोबरदाहा को मुख्य पथ तक सड़क निर्माण हेतु** वनभूमि का सामुदायिक वन पट्टा निर्गत करने हेतु दावा प्राप्त हुआ है। प्राप्त अभिलेख के समीक्षा में पाया गया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक अधिकार आमतौर पर स्थानीय समुदायों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते है, जैसे कि लघु वन उत्पाद एकत्र करना, चराई और सामान्य संसाधनों तक पहुँच इत्यादि। वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत सड़क निर्माण से संबंधित वैसे मामले जिसमें वनभूमि एक हेक्टेयर से कम हो तथा पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 75 से कम हो में स्वीकृति का प्रावधान है। चूंकि यह प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित है, सरकारी कार्यान्वयन एजेंसी यह प्रस्ताव विधिवत वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत वन प्रमंडल कार्यालय, देवघर में सभी वांछित अभिलेखों के साथ समर्पित करने हेतु निदेशित किया जाता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

दीपक मुर्मू,
सदस्य, जिला परिषद, देवघर।

सोनी सोरेन,
सदस्य, जिला परिषद, देवघर।

राजेन्द्र दास,
सदस्य, जिला परिषद, देवघर।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
देवघर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, देवघर।

ज्ञापांक :......665/जि0क0, देवघर, दिनांक–......15/03/25

प्रतिलिपि : सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/03/25

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
देवघर।

FORM-1

Annexure-1

(For linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Collector Deoghar

****

No. ....666.....

Dated....15/04/2025

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **11.1008 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के०वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण** (purpose for diversion of forest land) in **Deoghar** district falls within Jurisdiction **of बलथर, सिकटिया, रोपनी, बुढ़वाकुरा, जमुनियॉ, गंधवा, बलजोरा, दुधवाजोर, फुटाबांध** village's in **Mohanpur** tehsils and **गरीबखील** village's in **Deoghar** tehsils. Details of land noted below :-

Sl. No.	Block Name	Village Name	Thana No	Jamabandi No	Plot No	Acquired Area (HA)	JJ Area (Ha)	PF Area (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mohanpur	बलथर	891	65	1138	0.9697	0.9697	0.00
2	Mohanpur	सिकटिया	878	52	759	0.5612	0.00	0.5612
3	Mohanpur	रोपनी	886	25	536	0.1538	0.1538	0.00
				26	533	1.5800	1.5800	0.00
				26	533	0.2718	0.00	0.2718
4	Mohanpur	बुढवाकुरा	888	42	345	0.6299	0.6299	0.00
					64	0.0517	0.0517	0.00
5	Mohanpur	जमुनियॉ	887	41	481	0.3016	0.3016	0.00
					878	0.2937	0.2937	0.00
					426/1122	0.4839	0.4839	0.00
				40	879	0.0592 and 0.1855	0.1855	0.0592
6	Mohanpur	गंधवा	508	15	80	0.3200 and 0.4620	0.4620	0.3200
7	Mohanpur	बलजोरा	507	21	335	0.2800	0.2800	0.00
8	Mohanpur	दुधवाजोर	874	17	249	0.9860	0.00	0.9860
9	Mohanpur	पिरामोह	869	28	446	0.6051	0.6051	0.00
10	Mohanpur	फुटाबांध	890		225	0.2944	0.2944	0.00
					255	1.2700	1.2700	0.00
					310	0.1844	0.00	0.1844
					304	0.0012	0.00	0.0012
					305	0.1017	0.00	0.1017
					308	0.0320	0.00	0.0320
11	Deoghar	गरीबखील	243	8	21	0.0247	0.0247	0.00
				13	22	0.8790	0.8790	0.00
				12	147	0.1183	0.1183	0.00
						11.1008	**8.5833**	**2.5175**

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **11.1008 Hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... to annexure **... Not Applicable.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram-Sabha have given their consent to it ..... **Not Applicable.**

(c) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

28/03/25

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Deoghar.

Memo No....666..../(Welfare), Deoghar, Date...15/4/2025

Copy To

1. Senior Manager, Transmission Division, Dumka for information & necessary action.
2. Additional Collector, Deoghar for information & necessary action..
3. Divisional Forest Officer, Deoghar Division for Information & necessary action.
4. Commissioner Santhal Pargana Division Dumka for information & necessary action.
5. Special Secretary to Government of Revenue and Land Reform Dept. Jharkhand Ranchi for information & necessary action.
6. Secretary to Government of Welfare Department, Jharkhand, Ranchi for information & necessary action.

28/03/25

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Deoghar.

FORM-I

(For Liner Projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Magistrate and Deputy Commissoner, Dumka

Memo No. 2342........ Date. 17-12-2024

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Enviroment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-fc (pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initited and completed the process of settlement or rigst under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2023 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of liner projects, it is certified that **total 2.9377 hectares** of forest land in **Mouza – Birna, Gangta, Charkapathar, Budijhilwa, Pathriya and Pindra Block – Saraiyahat, District – Dumka** to be diverted in favour of Electrical Excutive Engineer, Transmission Division, Jharkhand Urja Sancharan Nigan limited, Dumka for Construction of 132 KV Jasidih to Hansdiha D/C Transmission Line in the State of Jharkhand (Dumka District) falls within jurdiction in Dumka Sub-Division.

It is further certified that :-

a. The complete process for the identification and settlement for rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act, 2006 has been carried out for the entire **2.9377 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the village Forest Rights Committee, Sub-Division level Committee and the Distrct level Committee are enclosed as annexure.

b. The diversion of forest land for above mentioned purpose does not attract provisions of section 3(2) of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006.

c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl : As above

17/12/24

उपायुक्त का कार्यालय दुमका

Deputy Commissioner,
Dumka

Nishant/Rana Sir 1

श्री आंजनेयुलू दोड्डे (भा0प्र0से0) उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2024 को आयोजित जिला वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

कार्यालय पत्रांक 386/जि0क0, दिनांक 28.02.2024 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष अनुमंडलस्तरीय वनाधिकार समिति, दुमका के ज्ञापांक 22/मु0 दिनांक 06.05.2024 द्वारा 132 के0वी0 द्विपथ हँसडीहा–जसीडीह संचरण लाईन का निर्माण हेतु वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त है। विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	**मौजा का नाम**	**थाना नं0**	**खाता सं0**	**दाग नं0**	**कुल रकवा (ए0डी0)**	**प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)**	**किस्म**	**अभ्युक्ति**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिण्डरा	34	34	644	13.42	0.5580	जंगल–झाड़ी	
2	पथरिया	20	15	163	01.65	0.0290	राखा जंगल	
3	पथरिया	20	15	278	01.82	0.1831	राखा जंगल	
4	पथरिया	20	15	276	01.05	0.1557	राखा जंगल	
5	विरना	21	8	79	02.10	0.1280	झाड़ी–जंगल	
6	गंगटा	34	5	42	11.50	0.1785	झाड़ी–जंगल	
7	गंगटा	34	5	49	06.15	0.3624	झाड़ी–जंगल	
8	गंगटा	34	5	66	41.50	0.0083	झाड़ी–जंगल	
9	गंगटा	34	6	40	00.62	0.0530	झाड़ी–जंगल	
10	गंगटा	34	6	47	00.26	0.0338	झाड़ी–जंगल	
11	चरकापाथर	24	32	1	28.19	0.4527	जंगल–झाड़ी	
12	चरकापाथर	24	32	3	11.70	0.5577	जंगल–झाड़ी	
13	बुढ़ी झिलवा	26	12	457	06.14	0.2375	झाड़ी–जंगल	पूर्व में मानवीय भूलवश प्रस्तावित रकवा के क्रमांक 13 में 0.2365 अंकित हो गया था।
	कुल					**2.9377**		

D:Nishant/Sanjay M 1461

प्राप्त प्रस्ताव के साथ जाँच प्रतिवेदन, ग्राम सभा, ट्रेस नक्सा एवं ग्राम सभा में ग्रामीणों के द्वारा अपनी सहमति प्रदान किया गया है।

पूर्व में निर्गत कार्यालय पत्रांक 1174, दिनांक 19.06.2024 एवं पत्रांक 1182, दिनांक 19.06.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अतः सर्वसम्मति से FRA प्रमाण पत्र (For liner projects) Form-I निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

निशा शबनम हाँसदा
निशा शबनम हाँसदा,
सदस्य, जिला परिषद,
(प्रखण्ड—गोपीकान्दर)

प्रकाश हाँसदा
प्रकाश हाँसदा
सदस्य, ज़िला परिषद,
(प्रखण्ड—शिकारीपाड़ा)

17.12.24
मिनु मरांडी
सदस्य, जिला परिषद,
(प्रखण्ड—मसलिया)

17/12/24
जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य
—सह—सचिव,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका

वन प्रमंडल पदाधिकारी
—सह—सदस्य,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका।

17/12/24
उपायुक्त
—सह—अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका।

ज्ञापांक 2341 / जि0क0, दुमका, दिनांक 17-12-2024

प्रतिलिपिः—आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर समाहर्त्ता, दुमका/अनुमण्डल पदाधिकारी,दुमका/सहायक वन संरक्षक, दुमका/अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संबंधित अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/24
उपायुक्त
—सह—अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका।

D:Nishant/Sanjay M 1462